कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 42 /एस0डब्ल्यू / 2021 अम्बिकापुर, दिनांक 11 / 04 / 2021

भारत सरकार एवं छत्तीगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड—19) नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा, धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन आदेश क्रमांक / 24 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—24.03.2021 एवं आदेश क्रमांक / 30 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—29.03.2021 तथा आदेश क्रमांक / 36 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक—07.04.2021 जारी किये गये हैं। इन आदेशों में किये गये प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिला सरगुजा में आवागमन तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर शक्त प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दंडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में मैं संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ:—

1. सरगुजा जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक—13.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक—23.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाऐं पूर्णतः सील रहेंगी।
3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।
4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन ए.टी. एम. कैश वेन, अस्पताल / मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस, एल.पी. जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेलवे, स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो / टैक्सी, विधिमान्य ई—पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध—वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध—वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायंकाल 05:00 बजे से 06:30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध के साथ अन्य व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खाले जायेंगे। केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
6. पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं सायंकाल 05:00 बजे से सायंकाल 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

DISTRICT MAGISTRATE SURGUJA (AMBIKAPUR) * CHHATTISGARH *

क्रमशः.....

Scanned with CamScanner

7. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर एजेंसियों को केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।

8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

9. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी।

10. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।

11. उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय सार्वजनिक/अर्द्ध–शासकीय एवं निजी कार्यालय एवं बैंक, बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख–रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग–अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम., कैशवेन पूर्ववत संचालित रहेंगे।

12. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

13. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे–टीकाकरण, कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगा। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

14. अपरिहार्य परिस्थितियों में सरगुजा जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य हॉस्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों /चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

15. कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने–जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

16. आपात की स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

DISTRICT MAGISTRATE SURGUJA (AMBIKAPUR) ★ CHHATTISGARH ★

क्रमशः.........

Scanned with CamScanner

17. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अपरिहार्य स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
18. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाऐं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं, तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
19. भारत सरकार/राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
20. उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश उपरोक्तानुसार दिनांक–13.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक–23.04.2021 रात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगा।

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा अम्बिकापुर

पृ0क्रमांक/ 43 /एस0डब्ल्यू0/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 11/04/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर।
5. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, अम्बिकापुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर/सीतापुर/उदयपुर, जिला सरगुजा।

क्रमशः......

Scanned with CamScanner

8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर।
9. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सर्व जिला सरगुजा
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला सरगुजा
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सीतापुर/लखनपुर
12. सहायक संचालक, जन सम्पर्क, अम्बिकापुर को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
सरगुजा अम्बिकापुर

DISTRICT MAGISTRATE SURGUJA (AMBIKAPUR) ★ CHHATTISGARH ★

Scanned with CamScanner